संख्या-21/2021/876/96-आयुष-1-2021-216/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषय-राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ परिसर में सी0सी0 रोड ड्रेन एवं इन्टरलॉकिंग के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-199/420/योजना/2020-21; दिनांक 18.02.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ परिसर में सी0सी0 रोड ड्रेन एवं इन्टरलॉकिंग के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0-288.02 लाख (रूपया दो करोड अठासी लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-144.01 लाख (रूपया एक करोड चौवालीस लाख एक हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 29.09.2020 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

3- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

4- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ का होगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

9- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।

10- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय तथा संबंधित अधिकारियों का होगा।

12- प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें तथा अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

2-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष: 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 12-आयुर्वेद औषधि निर्माणशाला के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-3-282/दस-2021, दिनांक 23.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-21/2021/876(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in